तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कन्हैयालाल V/s सोहनलाल 117/प्रा०फा/23
26/03/2025.	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस अन्तिम सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रकरण की चरण संख्या 1 में अंकित भूमि मे अप्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कोई सन्तान नहीं होने से उन्होंने वादी को 10 वर्ष की उम्र में परिवारजनों व पंचों के सामने गोद पिता की गोद में बैठाकर गोद दे दिया था और अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादी को गोद पुत्र स्वीकार कर लेने से प्रार्थी दत्तक पुत्र के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पास जीवनयापन करता चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी संख्या 3 को बेचान करने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी ने उप–पंजीयक महोदय व अप्रार्थी संख्या 1 व 3 को पंजीकृत नोटिस भेजकर सूचित किया कि उपरोक्त भूमि को रहन, बेचान नहीं करें व अप्रार्थी संख्या 3 भूमि को क्रय नहीं करें। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि वे भूमि के बेचान करेंगे। यही वाद कारण है। विवादित भूमि में निहित अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की भूमि को यदि उसने बेचान कर दिया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी व उसके पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं रहेगा। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि को रहन, बेचान नहीं करने से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को पाबंद किया जावे व अप्रार्थी संख्या 4 को पंजीयन नहीं करने व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कथन किया कि प्रार्थी ने धोखे से कोई दस्तावेज बना लिया हो तो वह झूठा है प्रार्थी को हमने गोद नहीं लिया है उसका सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, विवादित भूमि पर उसका कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि है। जिस पर प्रार्थी को कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 3 ने कथन किया कि विवादित भूमि में निहित अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से को रहन बेचान करने का अधिकार उसे प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 1 ने भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हिस्सा 22/37 हमे बेचान कर दिया है। जिसका
(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
नामान्तकरण खुल चुका हैं, हम क्रय किए गए हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे। हमने वकील पक्षकारान की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 17.02.2022 को प्रार्थी को गोद लिया जाकर गोदनामा पंजीकृत करवाया हुआ है। गोदपुत्र की हैसियत से विवादित भूमि में निहित अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की भूमि पर प्रार्थी को स्वत्व व अधिकार प्राप्त होते है। अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है जिससें कि विवादित भूमि में से हिस्सा उसके द्वारा क्रय किया जाना प्रमाणित हो। प्रथम दृष्टया गोद पुत्र होने से मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है व सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के हक में होने से एवं विवादित भूमि में निहित अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की भूमि को उसके द्वारा रहन, बय करने से प्रार्थी अपूर्णीय क्षति होने की संभावना बनी हुई है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि खाता संख्या 102 के खसरा संख्या 82 (1982) में निहित अप्रार्थी संख्या 1 सोहनलाल के हिस्से को रहन, बनय नहीं करें व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। संशोधन दिनांक 30/6/25 (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	
30/6/25 पत्रावली प्रा०पत्र द्वारा 151, 152 जा०दी० का वकील प्रार्थी की ओर से पेश करने पर आज पेश हुई। प्रा०पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालकर पत्रावली का अवलोकन किया। निर्णय दिनांक 26/3/25 में खाता संख्या -102 का ख०नं० सहवन से 1982 के स्थान पर 82 अंकित/टंकित हो गया है जो कि "स्लिपिंग ऑफ पैन मिस्टेक" से हुआ है, जिसे दुरुस्त	

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(निमय 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम हिण्डोली

किस्म मुकदमा.................................नं..............................सन्.............

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 26/03/2025 के अंतिम पैरा मे अंकित ख०नं० 82 के स्थान पर शुद्ध ख०न 1982 अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। मूल निर्णय मे उक्तानुसार संशोधन का अकंन किया जावे। प्रा०पत्र शा० मिसल रहे। पत्रावली बाद तकमील मूल निर्णय दिनांक में सुरक्षित रखी जावे। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	